

## वन्यजीव ट्रैक्वलिइज़ेशन

### सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में जीनत नामक तीन वरष की बाघनि को पश्चिम बंगाल के बांकुरा के जंगलों से बेहोश करके पकड़ लिया गया और उसे ओडिशा के [समिलीपाल बाघ अभ्यारण्य](#) में स्थानांतरित किया गया।

■ ट्रैक्वलिइज़ेशन न केवल संरक्षण प्रयासों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवों तथा मानव आबादी की सुरक्षा हेतु भी निर्णायक है।

### वन्यजीव ट्रैक्वलिइज़ेशन क्या है?

#### ■ परचिय:

- वन्यजीव ट्रैक्वलिइज़ेशन विभिन्न संरक्षण, अनुसंधान या बचाव उद्देश्यों हेतु सुरक्षित रूप से पकड़ने, नियंत्रित करने या स्थानांतरित करने हेतु जंगली जानवरों को विशिष्ट प्रशासक द्वारा उपयोग करके बेहोश करने की प्रक्रिया है।

#### ■ वनियिमन:

- ट्रैक्वलिइजर का उपयोग [औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940](#) के तहत वनियिमति किया जाता है।
- भारत में, [वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972](#) के तहत राज्य वन विभागों द्वारा पशुओं के ट्रैक्वलिइज़ेशन/बेहोशी की निगरानी की जाती है, जिसमें प्रशासकिक्षित पशु चकितिसकों और [भारतीय वन्यजीव संस्थान \(WII\)](#) द्वारा प्रावधानित विशेषज्ञता का सहयोग लिया जाता है।

#### ■ वधियाँ और उपकरण:

- डार्ट को दूर से ही चलाया जाता है, आमतौर पर डार्ट को आगे बढ़ाने के लिये संपीड़ित CO2 गैस का उपयोग किया जाता है।
- उड़ान के दौरान स्टीकता में सुधार करने के लिये डार्ट पर पंखों का एक गुच्छा या अन्य स्थरीकरण सामग्री लगाई जाती है।
- ट्रैक्वलिइजर गन और डार्ट: वन्यजीवों को बेहोश करने के लिये प्राथमिक उपकरण डार्ट गन है, जिसकी सहायता से प्रशासक औषधियों से भरी एक सरिजि को लक्षित जानवर पर छोड़ा जाता है।
- डार्ट में अक्सर एक हाइपोडर्मिक सुई और एक बार्ब (काँटे या दाँत जैसी संरचना) लगा होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकता है।

#### ■ औषधियों के प्रकार:

- ओपिओइड (Opioids): M99 (एटॉरफनि) जैसी दवाएँ, जिनका उपयोग हाथी और बाघ जैसे बड़े स्तनधारियों को स्थिर करने के लिये किया जाता है।
- वन्यजीवों को प्रशान्त/बेहोश करने के लिये, मॉर्फनि का उपयोग कभी-कभी अन्य औषधियों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

#### ■ अल्फा-एड्रेनरजिक ट्रैक्वलिइजर: जाइलाजनि (Xylazine) और केटामाइन (Ketamine) जैसी औषधियों का उपयोग आमतौर पर हरिण तथा बाघ जैसे जानवरों को प्रशान्त करने हेतु किया जाता है।

- जाइलाजनि एक प्रशासक और मांसपेशी शाथिलिक के रूप में कार्य करता है, जबकि केटामाइन असाहचर्य को प्रेरित करने तथा नशीलता की अवधि को बढ़ाने में मदद करता है।
- ये औषधियाँ अधिक नियंत्रित प्रशासक के रूप में कार्य करती हैं तथा इनमें प्रतविषि/एंटीडोट का उपयोग करके प्रभावों को विपरीत स्थितिमें लाने की क्षमता भी होती है।

#### ■ प्रतविरती/रविरसल एंजेंट: नालोक्सोन (Naloxone) जैसे विशिष्ट एंटीडोट का उपयोग ट्रैक्वलिइज़ेशन (बेहोशी की अवस्था) के प्रभावों को समाप्त करने हेतु किया जाता है।

#### ■ अनुप्रयोग:

- संरक्षण एवं पुनर्वास: इसका उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों से जानवरों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने या लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित अभ्यारण्यों में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है।
- अनुसंधान एवं निगरानी: स्वास्थ्य आकलन, टैगिंग और प्रवासन प्रतिरूप/पैटर्न का अध्ययन करने हेतु जानवरों को पकड़ने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।
- बचाव कार्य/अभियान: धायल या फँसे हुए पशुओं को बचाने, पशु चकितिसा देखभाल या पुनर्वास केंद्रों तक उनके प्रविहन हेतु इसका उपयोग आवश्यक हो जाता है।

# वन्यजीव संरक्षण पहल

## वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

### ■ 42वाँ संशोधन अधिनियम,

1976: वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समर्त्ती सूची में हस्तांतरित)

### ■ अनुच्छेद

48 A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास

### ■ अनुच्छेद

51 A (g): वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

## वैधानिक ढाँचा

■ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

■ जैविक विविधता अधिनियम, 2002

## प्रमुख संरक्षण पहलें

### ■ वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):

⊕ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई  
⊕ एक केंद्र प्रायोजित योजना

### ■ राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)

### ■ संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश

### ■ मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन

### ■ वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो: वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु

### ■ वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):

⊕ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून  
⊕ IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

■ वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

### ■ वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ⊕ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ⊕ ऑपरेशन थंडरबर्ड

### प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली मैसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिर्दों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

## वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- ⊕ वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन (CITES)
- ⊕ जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेशन (CMS)
- ⊕ जैविक विविधता पर कन्वेशन (CBD)
- ⊕ विश्व विरासत सम्मेलन
- ⊕ रामसर कन्वेशन
- ⊕ वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- ⊕ यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- ⊕ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- ⊕ प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ⊕ ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



Drishti IAS

## वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत के प्रयास

- वन्यजीवन हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा वन तथा वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- अनुच्छेद 51 A (g) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह क्रतव्य होगा कि वह जीवित प्राणियों के प्रतिदिया रखे।
- अनुच्छेद 48A में यह प्रावधान है कि राज्य प्रावरण की रक्षा तथा सुधार करने तथा देश के बनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- वधिक ढाँचा:
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
  - प्रावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  - जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
  - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन (CITES)
  - वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेशन (CMS)
  - जैविक विविधता पर कन्वेशन (CBD)
  - वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (ट्रैफिक/TRAFFIC)
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
  - ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. यदिकिसी पौधे की विशिष्ट जातिको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)

- उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
- ऐसे पौधे की खेती किसी भी परस्थिति में नहीं हो सकती।
- यह एक आनुवंशिकतः रूपांतरति फसली पौधा है।
- ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारतिंत्र के लिये हानकारक होता है।

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tranquillising-wild-animals>